उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4

संख्या-95 /2016/896/22-4-16-48(62)/15

लखनऊ : दिनांक- 06 जुलाई, 2016

विज्ञप्ति/नियुक्ति

जेल नियम संग्रह (जेल मैनुअल) उत्तर प्रदेश के प्रस्तर- 669 में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय गैर. सरकारी जेल वीक्षकों को नामित किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-1495/22-4-2002-48(23)/99, दिनांक 07-01-2003 में उल्लिखित शर्तों के अधीन निम्नलिखित 05 व्यक्तियों को **जिला कारागार, सुल्तानपुर** में गैर सरकारी जेल वीक्षक नियुक्त करते हैं। ये आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे तथा इनकी नियुक्ति इस आदेश के निर्गत किये जाने की तिथि से दो वर्ष (02 वर्ष) तक की अवधि के लिए होगी, यदि इसके पूर्व ही इनकी नियुक्ति शासन द्वारा निरस्त न कर दी जाय :-

1- श्री तेजिन्दर सिंह बग्गा पुत्र श्री रविन्द्र सिंह बग्गा, निवासी-1764, पंजाबी कालोनी, जनपद-सुल्तानपुर।

2- श्री अमित कुमार सिंह पुत्र श्री त्रिभुवन नारायण सिंह, निवासी-1492 शास्त्री नगर, जनपद-सुल्तानपुर।

3- श्री आबिद रशीद खान पुत्र डा0 अब्दुल रशीद खान, निवासी-ग्राम व पोस्ट-हमजापुर पठान, थाना-कादीपुर, जनपद-सुल्तानपुर।

4- श्री राकेश कुमार सिंह पुत्र श्री टी0एन0 सिंह, निवासी-ग्राम व पोस्ट-गारवपुर, थाना-चांदा, जनपद-सुल्तानपुर।

5- श्री सुशील कुमार यादव उर्फ अज्जू पुत्र श्री किशन सिंह यादव, निवासी-ग्राम-पदारथपुर उपाध्याय, पो0-सालनपुर, थाना-कादीपुर, जनपद-सुल्तानपुर।

एस0 के0 रघुवंशी

सचिव।

संख्या- 95/2016/896(1)/22-4-16-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, सुल्तानपुर।

3- निदेशक सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4- निदेशक,मुद्रण एवं लेखन सामग्री,उ0प्र0,इलाहाबाद को राजकीय गजट के अगले अंक में प्रकाशन हेतु।

5- अधीक्षक, जिला कारागार, सुल्तानपुर।

6- सम्बन्धित व्यक्ति।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in